563

RTP-2

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010पार्ट जयपुर, दिनांक :– 11.05.2011

परिपत्र

विषय :– टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत आरक्षित EWS/LIG भूखण्ड/फलैट्स के निष्पादन के संबंध में।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर तक) में EWS/LIG हेतु भूखण्ड/फलैट्स आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए भूखण्ड का क्षेत्रफल 30 से 45 वर्गमीटर तथा अल्प आयवर्ग हेतु क्षेत्रफल 46 से 75 वर्गमीटर निर्धारित है तथा भूखण्डों के विक्रय की दर योजना में अन्य भूखण्डधारियों से ली जा रही राशि का 25 प्रतिशत EWS के लिए तथा 60 प्रतिशत LIG के लिए निर्धारित है। इसी प्रकार EWS फलैट्स के लिए क्षेत्रफल 325 से 350 वर्गफीट व LIG के लिए 500 से 550 वर्गफीट निर्धारित है, जिसका विक्रय रूपयें 750 वर्गफीट की दर से किये जाने का प्रावधान है। प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा उक्त पॉलिसीज के तहत अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं में पॉलिसी के प्रावधानानुसार EWS/LIG के भूखण्ड/फलैट्स आरक्षित करवाये जा रहे है, उनके निष्पादन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. संबंधित निकाय निजी विकासकर्ताओं की अनुमोदित योजनाओं में EWS/LIG हेतु आरक्षित भूखण्डों/फलैट्स की सूचना संकलित कर आवंटन हेतु वास्तविक संख्या का निर्धारण करेगा।
2. उक्त योजनाओं में EWS/LIG के उपलब्ध भूखण्डों/फलैट्स हेतु संबंधित निकाय द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
3. भूमि निष्पादन नियमों के प्रावधानानुसार आवेदको के पात्रता की जांच कर पात्र आवेदकों की सूची संबंधित निकाय द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
4. उक्त सूची में पाये गये पात्र आवेदकों की उपलब्ध भूखण्डों/फलैट्स के आधार पर संबंधित निकाय द्वारा लॉटरी निकाली जावेगी।
5. उक्त लॉटरी में सफल आवेदकों की सूची संबंधित योजना के विकासकर्ता को आवंटन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
6. विकासकर्ता को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गई सफल आवेदकों की सूची के अनुसार भूखण्ड/फलैट्स 60 दिवस में निर्धारित राशि जमा होने पर आवंटित किये जाने होंगे।
7. भूखण्ड की स्थिति में आवंटी को इसी अवधि में कब्जा सम्भालाया जायेगा तथा इसकी सूचना संबंधित निकाय को प्रेषित की जानी होगी तथा फ्लैट की स्थिति में निर्माण अवधि पूर्ण होने पर फ्लैट का कब्जा आवंटी को दिया जाना होगा, तथा सूचना संबंधित निकाय को प्रेषित की जायेगी। उक्तानुसार कब्जा नहीं दिये जाने की स्थिति में विकासकर्ता के हिस्से के आवासों के लिए अधिवास प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

ह.
(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव